प्रेस नोट दिनांक 12.01.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़ ।

चोरी के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को थाना अंतू पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, चोरी के चावल व सरसों बरामद-

अभियुक्त को थाना अंतू क्षेत्रान्तर्गत किशुनगंज-तारनपुर मार्ग के पास से गिरफ्तार किया गया-

अभियुक्त चंद्रशेखर ओझा उर्फ डिप्टी पर चोरी, मारपीट व विस्फोटक अधिनियम जैसे गंभीर मुकदमें है दर्ज-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 10.01.2026 को सायं ग्राम जोगीपुर थाना अन्तू निवासी वादी के घर में चन्द्रशेखर ओझा उर्फ डिप्टी पुत्र रामकुमार ओझा, निवासी बहरिया थाना अन्तू, अपने कुछ साथियों के साथ घर में घुसकर 70 किग्रा सरसों एवं 60 किग्रा चावल चोरी कर ले गया। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंतू में मु0अ0सं0-06/2025 धारा 305ए, 331(3) बीएनएस बनाम 01 नामजद व कुछ साथी अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना अंतू प्रभारी निरीक्षक श्री अभिषेक सिरोही के नेतृत्व में उ0नि0 शुभनाथ साहनी मय हमराह उ0नि0 गौतम बनर्जी, हे0कां0 ऋषिकेश यादव, कां0 रणजीत सिंह, म0कां0 दीपिका त्रिपाठी द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मु0अ0सं0-06/2025 धारा 305ए, 331(3), 317(2) बीएनएस थाना अंतू, प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त चंद्रशेखर ओझा उर्फ डिप्टी पुत्र रामकुमार ओझा निवासी ग्राम ओझा का पूरवा सड़वा चंद्रिका थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ उम्र 45 वर्ष, को थाना क्षेत्रान्तर्गत किशुनगंज से तारनपुर जाने वाले रोड के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त की निशांदेही चोरी का एक बोरी में 37 किग्रा 850 ग्राम सरसों एवं एक बोरी में 43 किग्रा 750 ग्राम चावल बरामद किया गया।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई है।

पूछताछ विवरण-
पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि वह नशा करने का आदी है तथा उसी के द्वारा ग्राम जोगीपुर में घर में घुसकर चोरी की गई थी। अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसने एक बोरी सरसों एवं एक बोरी चावल भरकर चोरी की तथा माल ले जाने हेतु ई-रिक्शा का प्रयोग किया। दोनों बोरियों में अनाज की सटीक मात्रा उसे ज्ञात नहीं है। आगे बताया कि चोरी किया गया सरसों एवं चावल एक दुकान पर ले जाकर रखा, जहाँ दुकानदार द्वारा अनाज खरीदने से मना करते हुए उसके स्रोत के बारे में पूछताछ की गई। इस पर अभियुक्त भयवश अनाज वहीं छोड़कर मौके से भाग गया। अभियुक्त ने अपने कृत्य को स्वीकार करते हुए बताया कि नशे की लत के कारण उसने चोरी किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. चंद्रशेखर ओझा उर्फ डिप्टी पुत्र रामकुमार ओझा निवासी ग्राम ओझा का पूरवा सड़वा चंद्रिका थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ उम्र 45 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-
अभियुक्त चंद्रशेखर ओझा उर्फ डिप्टी पुत्र रामकुमार ओझा निवासी ग्राम ओझा का पूरवा सड़वा चंद्रिका थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0-282/2025 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ ।
02. मु0अ0सं0-304/2022 धारा 147, 148, 323, 452, 504, 506 भादवि0 थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0-06/2025 धारा 305ए, 331(3), 317(2) बीएनएस थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- चोरी का एक बोरी में 37 किग्रा 850 ग्राम सरसों एवं एक बोरी में 43 किग्रा 750 ग्राम चावल बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 शुभनाथ साहनी मय हमराह उ0नि0 गौतम बनर्जी, हे0कां0 ऋषिकेश यादव, कां0 रणजीत सिंह, म0कां0 दीपिका त्रिपाठी थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

मारपीट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त सत्यनारायण यादव को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रंजीतपुर चिलबिला गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण -
दिनांक 24.12.2025 को वादी निवासी-रंजीतपुर चिलबिला,थाना कोतवाली नगर को आरोपीगणों द्वारा जमीन पर कब्जे करने को लेकर वादी के साथ मारपीट करने के प्रकरण में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0 665/25 धारा 3(5)/115 (2)/352/351 (2)/119 (1) बीएनएस बनाम 11 नामजद अभियुक्त व 04-05 अज्ञात अभियुक्त का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 संदीप तिवारी मय हमराह का दिलीप व का0 अनिल कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 665/25 धारा 3(5)/115 (2)/352/351 (2)/119 (1) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त सत्यनारायण यादव पुत्र जोखूराम यादव नि० ग्राम रंजीतपुर चिलबिला थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रंजीतपुर चिलबिला से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. अभियुक्त सत्यनारायण यादव पुत्र जोखूराम यादव निवासी ग्राम रंजीतपुर चिलबिला थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अवधेश सिंह मय हमराह हे0का0 रामवचन व का० प्रवीन कुमार थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना दिलीपपुर के उ0नि0 पंकज

कुमार वर्मा मय हमराह कां0 जगदीश द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर क्रिमिनल केस नं0 4811/2024 अ0सं0 223/23 धारा 373/411 भादवि थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारंटी अभियुक्त जाबिर पुत्र मो0 युनुस निवासी ग्राम रसोईया थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 24 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. जाबिर पुत्र मो0 युनुस निवासी ग्राम रसोईया थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 24 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 पंकज कुमार वर्मा मय हमराह कां0 जगदीश, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।